

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रशान्त शर्मा, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/2351

दिनांक - 10.09.20

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ग्राम पंचायत सरली
जरिये सरपंच

1 जेठाराम 2 कुम्भाराम पिसरान वीरमाराम 3 खेमाराम पुत्र
मूलाराम जाति जाट निवासी अणखियां (नोखड़ा) तहसील
गुडामालानी 4 टीकमाराम पुत्र हरजीराम 5 पेमाराम पुत्र
केसाराम जाति जाट निवासी नोख तहसील बाड़मेर 6
रामसिंह पुत्र मोडसिंह 7 विजयसिंह पुत्र हिन्दूसिंह जाति
राजपूत 8 हनुमानराम 9 ठाकराराम पिसराम तिलाराम जाति
कुम्हार 10 मांगाराम पुत्र बादराराम 11 जुगताराम 12 भूराराम
13 हरचन्द्रराम पिसरान भूपाराम 14 मेगाराम 15 वाबूराम
पिसरान बादराराम 16 मोटाराम पुत्र देवाराम जाति भील
निवासी बांकलसर (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने
राजस्व आवेदन संख्या :- 318/2019

नेखमबन्दी बाबत
दिनांक- 09.09.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बांकासर पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 844 रकबा 77.07 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते
हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(प्रशान्त शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 10.09.20

क्रमांक :- रीडर/2020/2352-53
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ग्राम पंचायत सरली जरिये सरपंच तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जेठाराम पुत्र वीरमाराम वगैराह जाति जाट निवासी अणखियां (नोखड़ा) तहसील
गुडामालानी व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर